35 किता-3 रकबा 1-13 व खाता संख्या-36 किता-28 रकबा 19-11-00 भूमि से संबंधित न्यायालय मे वाद विचाराधीन है। जिससे अस्थायी जारी की जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व प्रार्थी के पक्ष मे विरुद्ध विपक्षीगण के इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा उक्त भूमि पर मूल वाद के निस्तारण तक जारी की जाती है कि मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नाखत से काम हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द